वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 5/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक जुलाई - अगस्त'09

PARLIAMENT COMMITTEE FOR OBC
CONSTITUTIONAL POWERS TO BC COMMISSION
OBC PMs URGE THE PM & SPEAKER

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज के कन्वेनर एवं राज्यसभा सांसद श्री वी.हनुमंत राव के नेतृत्व में मंत्रियों और सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 23 जुलाई 2009 की दोपहर 12.10 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में डा0 मनमोहन सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल में योजना एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी.नारायणसामी, उर्जा राज्यमंत्री भारत सिंह सोलंकी, सूचना एवं प्रोद्योगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री धरम सिंह के अलावा कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडी (यू), पीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी के 50 सांसद मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि ओबीसी आरक्षण नीति को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है, एवं ऐसी कोई सरकारी मशीनरी नहीं है जो इसे मॉनिटर कर सके। सभी के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया एवं आग्रह किया गया कि "अन्य पिछड़े वर्गों" हेतु संसदीय कमेटी गठित की जाए। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में यथासंभव पक्ष में गौर करने का विश्वास दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार से भी मिला और "अन्य पिछड़े वर्गों" हेतु संसदीय समिति गठित करने की मांग की। श्रीमती मीरा कुमार ने भी इस संबंध में पक्ष में जवाब दिए।

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी के सदस्य सांसदों की बैठक नई–दिल्ली,15 जुलाई 2009

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज् की मीटिंग में (बांए) उपस्थित सांसद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री हनुमंत राव, कन्वेनर् एवं (नीचे) सभा को संबोधित करते सूचना एवं प्रोद्योगिकी राज्यमंत्री श्री सचिन पायलट।

पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज् की मीटिंग में (उपर) कानून मंत्री श्री विरप्पा मोइली को स्वागत करते हुए एवं (दाहिने) उपस्थित सांसद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री हनुमंत राव, कन्वेनर्।

बैठक में दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित था– यथाशीघ्र अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संसदीय समिति गठित की जाय एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को समुचित अधिकर प्रदान किए जाए।

वाराणसी

26 जुलाई 2009 को छत्रपति साहूजी महाराज के जयन्ती के अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के बुद्धिजीवियों ने शिरकत की।मुख्य वक्ता थे–प्रो0 विवेक कुमार (जेएनयू) एवं श्री सूबेदार राम(वाराणसी से सेवानिवृत अपर आयकर आयुक्त)

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 4 जुलाई-अगस्त 09

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

परामर्श
जी. करुणानिधि
जे. पार्थसारथी
रवीन्द्र राम

प्रकाशक
रानी अमृतांशु

संपादक
अशोक आनंद
9415224153

मानद संपादक
अमृतांशु
9415392194

मानद सह संपादक
डा. हेमन्त कुशवाहा
9453359701
विनोद प्रसाद शर्मा
9415889947
नवीन कुमार यादव
9305310507

सहयोग
बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार रामनाथ सिंह यादव, कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, सुनील जायसवाल, जयशंकर प्रसाद, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद, गोपाल जी शर्मा, सी.पी. सिंह

पत्राचार
जानकी वाटिका
अकथा, पहड़िया, वाराणसी-221007
ई-मेल : aiobc.up@gmail.com

मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर
नाटी इमली, वाराणसी

सहयोग राशि : 5 रुपये

अपने इतिहास की खोज

यदि अपने इतिहास को जानने के प्रयास न किए जाएं, अपने सरोकरों से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं को न जाना जाए, उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज बनाकर मुद्रित रूप में उपलब्ध न किया जाए, उन्हें इतिहास की पुस्तकों के रूप में न संजोया जाए तो यह कहना कठिन नहीं होगा कि ऐसे इतिहास समय के गर्त में खो जाते हैं। ऐसे में ऐतिहासिक घटनाक्रमों की दास्तान धूल की चादर में ढंककर गुम होने लगती है।

यद्यपि इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। हजारों साल बाद भी इनके अमरत्व को खोजा और पाया जा सकता है। लेकिन यह खोज हमारे सरोकारों की सघनता पर निर्भर करता है।

हम सभी दो तरह के अध्ययन करते हैं। एकेडेमिक और सामाजिक। एकेडेमिक डिग्रियां हमें हमारे जीविकोपार्जन के लक्ष्य पाने में सहायक होती हैं जब कि सामाजिक चेतनता हमें हमारे सामाजिक पहचान से जुड़े सन्दर्भों को जानने समझने में सहायक होती हैं। एकेडेमिक शिक्षा भिन्न भिन्न विषयों में दक्षता हासिल कर देश के वैज्ञानिक विकास में अपनी भूमिका अदा करती हैं जब कि सामाजिक अध्ययन एवं शोध, समाज में जीवित रहने वाले मानवीय मूल्यों एवं स्वस्थ समाज की पृष्ठभूमि पर कार्य करने की योग्यता पैदा करता है।

यह निर्विवाद प्रमाणिक तथ्य है कि बिना सामाजिक अध्ययन के, सामाजिक परम्पराओं, विसगंतियों, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति समाज में फैले भेदभावों को जाने बगैर, इन्हें मिटाए बगैर हम एक सफल और पूर्ण राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते।

इतिहास हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है। सत्य यह भी है कि एक बहुत बड़ा मध्यवर्गीय समुदाय अपने इतिहास के प्रति सदैव बेपरवाह रहा है। आज भी 85 प्रतिशत सम्यक समाज जिसे पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का सही प्रतिशत माने तो वह सामाजिक न्याय के लक्ष्य से कोसों दूर है।

साइमन कमीशन वापस जाओ

साइमन कमीशन भारत में ब्रिटिश हुकुमत द्वारा गठित वह आयोग था जिसे भारत में प्रजातांत्रिक मतदान पद्धति लागू करने से पूर्व भारतीय सामाजिक एंव राजनैतिक स्थिति के अध्ययन के लिए 30 मार्च 1927 को गठित किया गया था। यह रोमांचक सत्य है कि जिस वक्त भारत में बड़े पैमाने पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, ठीक उसी वक्त डा0 भीम राव अम्बेडकर ने अपने सभी दलित, शूद्र भाइयों को सूचित किया कि वे सभी स्थानों पर साइमन कमीशन का स्वागत करें। एक दुर्लभ पत्र जिसे कानपुर से झामलाल अहेरवाल ने लिखा था, आपके सम्मुख प्रस्तुत है–

Welcome Simon or Parliamentary Commission on Morning 30th November, 1928 at Lucknow

Our benign British Government has deputed a Parliamentary Commission to India which is touring in throughout the provinces and will reach at Lucknow on Morning 30th November, 1928.

We instruct our Achhut Shudra Community – being termed as Depressed Class, that if the community desires to have the full liberty, the rights and claims in the future constitution of India as gentlemen of Higher Classes have proposed and expressed their desirability of co-operation with the Simon Commission, the Achhut community of U.P. must welcome the Commission with hope and certainty that the rights of 7 million of Ahhuts will be sufficiently safeguarded thereby. In order to break legally the terrible laws of Manusmiriti and to break the chain of Slavery we appeal our Community to welcome the Commission and try your best to make the Simon Commission a great success.

JHAMLAL AHERWAR,
President : ADI HINDU SABHA
Proprietor : MONRO LEATHER MARKET
Phulgalli Anwarganj, CAWNPORE

(साभार : पुस्तक–पूना पैक्ट,क्यों,क्या और किसके लिए)

7 अगस्त 1990

भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पिछड़ों के लिए अविस्मरणीय दिन। इस दिन जब एक ऐतिहासिक फैसले को भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सुनाया गया तब भारतीय समाज में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विकास के नए आयाम की शुरूआत हुई। वह फैसला था – अ0पि0व0 के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण। उन्हें हम क्रांतिबीज पुरूष कहते हैं। उन्हें हम युग नायक कहतें हैं। वे हैं माननीय वी0पी0सिंह। हम एक बार पुनः उस घोषणा को उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत करते है :

"इस वैभवपूर्ण सदन में सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए आज मैं प्रसन्न हूँ, जिसे मेरी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए लिया है"

"माननीय सदस्यों (MPs) आप जानते हैं, 40 साल पहले संविधान अंगीकार करते समय आर्टिकल 340(1), 15(4) और 16(4) के संदर्भ में यह सोचा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान की जाएगी, उनकी तकलीफें दूर होंगी एवं उनकी दशा में सुधार किया जाएगा। यह हमारे संविधान के मूल स्वरूप के प्रति नकार हैं कि आज तक उनकी ये जरूरतें पूरी नहीं हो पायी"। क्या आप ऐसे अविस्मरणीय दिन को भूलना चाहेंगें ?

14 अगस्त 1950

भारतीय सामाजिक वर्ण व्यवस्था को नकारकर पूरी व्यवस्था को झकझोर देने वाला समाज सुधारक ई0 वी0 रामास्वामी पेरियार के आंदोलन के फलस्वरूप पिछड़ों को संविधान की धारा 15(4) के तहत आरक्षण का अधिकार मिला।

26जनवरी 1950। भारत गणतंत्र बन चुका था। संविधान लागू हो चुके थे। उसी समय मद्रास हाईकोर्ट और उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट में अगड़ी जातियों ने अपील की और यह तर्क दिए कि कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे आरक्षण के प्रावधान को बंद किया जाय। उन्होंने यह भी तर्क दिए कि यह प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है। न्यायालय ने उनके तर्कों को मानते हुए यह घोषणा की कि किसी खास वर्ग को आरक्षण का लाभ देना असंवैधानिक है।

थान्ताई ई0वी0रामासामी पेरियार ने इस फैसले से क्षुब्ध होकर मीटिंग और सभाएं आयोजित की। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आरम्भ किए, जो दिनोंदिन विस्तारित होता गया। परिणामतः संविधान का पहला संशोधन 1951 में पास हुआ। और आर्टिकल 15 में उपबंध (4) जोड़ा गया।

" Nothing in this article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or citizens or for the Scheduled Classes and Scheduled Tribes."

क्यों नही हम संविधान के प्रथम संशोधन के प्रणेता पेरियार के सम्मान में 14 अगस्त के दिन को उल्लासपूर्वक मनाएं और लोगों को इसकी जानकारी बांटें।

20 अगस्त 1856

" One Caste / One Religion / One God - for Human Mankind" और " Freedom through Knowledge" यह नारायण गुरू का सपना था। नारायण गुरू जिनका केरल के तिरूअंतपुरम में 1850 में आविर्भाव हुआ। वंचित समाज के उन्नायक, प्रखर समाज सुधारक जिन्होंने देश के जाति आधारित सामाजिक संचरना को चुनौती दी। जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों को जगाया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, जाति भी एक हो, धर्म भी एक हो, क्योंकि सबका मार्ग मनुष्य के सुखद जीवन की ओर जाता है।

वे कहते थे कि जाति व्यवस्था, दक्षिण अफ्रिका के रंगभेद से भी अधिक नुकीली है। जाति व्यवस्था अर्थात कुछ जातियां ऐसी जिन्हें अगड़ी जातियां कहा गया और तथाकथित ढेरों अन्य जातियों का समूह जिन्हें पिछड़ी जातियां कहा गया। बड़ी जातियां छोटी जातियों पर शासन के लिए थी। जातियां कार्य के आधार पर निर्मित थी। लेकिन साथ में यह भी तय था कि यदि माता पिता किसी विशेष जाति के अंतर्गत आते हैं तो स्वतः ही आप उसी जाति के हो जाते हैं और आपको उसी जाति के काम करने होते थे। यदि आप निम्न जाति के हैं तो वर्गीकरण के अनुसार आपको वे ही कार्य करने होते थे। साथ ही ढ़ेरों नियम निम्न जातियों के लोगों के लिए बनाए गए थे जिन्हें भी आपको मानना पड़ता था। मसलन – वे स्कूल नहीं जा सकते थे। वे मंदिर नहीं जा सकते थे। उच्च जाति के लोगों को वे छू नहीं सकते थे। वे उच्च जातियों से एक खास दूरी के अंदर नहीं जा सकते थे। यदि इनमें से कोई भी नियम टूटते तो उन्हें कठोरतम दंड दिया जाता। यहां उन दंडों की व्याख्या उचित नहीं है, इतने कठोर होते थे वे दंड।

नारायण गुरू इन सामाजिक कुरीतियों से लड़े। वह अपनी तरह की उनकी अद्भुत शैली थी। श्री नारायण गुरू पर विस्तार से 'हमारे धरोहर' स्तम्भ के अंतर्गत विस्तृत सामग्री दी जाएगी। इस माह हम उनकी जयंती मनाएं एवं सकंल्प करें कि जातिगत दुर्भावना को खत्म करेगें। मनसा, वाचा कर्मणा में इस विचारशैली को अपनाएंगें और दूसरों में भी इसे समाहित करेंगें। हम अपने ऐतिहासिक सामाजिक न्याय के साहित्य का अध्ययन अवश्य करें, ताकि स्थितियों का सही आकलन कर सकें।

अमृतांशु

ब्लॉग : signpost2.blogspot.com

CREAMY LAYER : 4.5 LACS

No.36033/3/2004-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated the 14th October, 2008

U/S (SCT) P) Circulate to PSBs/FIS/RBI etc. 9ms 22/X/08

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The limit of income for determining the creamy layer status was raised to Rs. 2.5 lakh vide this Department's OM of even number dated 9.3.2004. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 2.5 lakh to Rs. 4.5 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	Income/Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 4.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

वित्त मंत्रालय/Min. of Finance
वित्तीय सेवाएं विभाग
Deptt. of Financial Services
17 OCT 2008
प्रा. एवं प्रेषक विभाग डा.सं. ....
R&I Dy. No. 14.9.608

C - 23232/SCT(B) 21/X/08

2. The provisions of this Office Memorandum take effect from the 3rd October, 2008.

3. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of all concerned.

(K.G Verma)
Director

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi- 110002.
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi. (100 copies)
13. Spare copies – 400.

Copies forwarded to :

The Chief Secretaries of all the States/ UTs. for information and necessary action.

GOVT. TO LAUNCH SPECIAL DRIVE TO FILL 781 RESERVES POSTS

The centre said a special recruitment drive has been launched to fill up 781 backlog vacancies for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in various government departments.

"As per information received up to July 3, 2009 from 11 Ministries and departments, there were 207,177,397 backlog vacancies of SCs, STs and OBCs respectively as on November 1,2008." Minister of State for Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Prithviraj Chauhan told Lock Sabha on July 8.

संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) सूची

आरक्षण से अपवर्जित वे व्यक्ति /वर्ग जो समाज में सम्पन्न वर्ग है

श्रेणी का विवरण	जिन पर अपवर्जन का नियम लागू होगा
सांविधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्रियाँ
	क) भारत के राष्ट्रपति ख) भारत के उप-राष्ट्रपति ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ड.) वे व्यक्ति जो इसी प्रकार के सांविधानिक पदों पर हैं।
।। सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र और पुत्रियाँ
क) अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं के ग्रुप क/श्रेणी-। के अधिकारी (सीधी भर्ती)	क) जिनके माता-पिता, दोनो श्रेणी-। के अधिकारी हो। ख) जिनके माता-पिता में से कोई भी श्रेणी-। का अधिकारी हो। ग) जिनमे माता-पिता दोनों श्रेणी-। के अधिकारी हों परन्तु उनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रुप से अशक्त हो जाए। घ) जिनके माता-पिता में के कोई भी श्रेणी-। का अधिकारी हो और माता-पिता की मृत्यु हो जाए या स्थायी रुप से अशक्त हो जाए तथा मृत्यु से या ऐसी अशक्ता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ (यू एन) अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ), विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतराष्ट्रीय संगठन में • कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। ड.) जिनके माता-पिता दोनो श्रेणी-। के अधिकारी है एवं उनकी मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रुप से अशक्त हो जाते हैं और इस प्रकार मृत्यु या अशक्ता से पूर्व दोनो • में या किसी भी एक ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। परन्तु निम्नलिखित मामलों में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा क) उस माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिनमें से कोई एक या दोनों श्रेणी-। के अधिकारी हैं और उनके माता या पिता की मृत्यु या दोनों की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रुप से अशक्त हो/हों ख) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी की कोई भी महिला जिसका विवाह श्रेणी-। के अधिकारी से हुआ हो और वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हो।
ख) केन्द्र और राज्य सेवाओं के ग्रुप ख/श्रेणी -।। के अधिकारी (सीधी भर्ती)	निम्नलिखित के पुत्र (पुत्रों) और पुत्री (पुत्रियों) पर - क) जिनके माता-पिता, दोनो श्रेणी-।। के अधिकारी हो। ख) जिनके माता-पिता में से केवल पिता श्रेणी -।। का अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु का होने पर या इससे पूर्व श्रेणी-। का अधिकारी हो।

	ग) जिनके माता-पिता दोनो श्रेणी -।। के अधिकारी हों और उनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाए या स्थायी रुप से अशक्त हो जाए तथा मृत्यु से या ऐसी अशक्ता से पूर्व अंर्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (यू एन) अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ), विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतराष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो। घ) माता-पिता में से पिता श्रेणी-। का अधिकारी हो (40 वर्ष की आयु से पूर्व सीधी भर्ती से पदोन्नत हुआ हो) और पत्नी श्रेणी-।। की अधिकारी हो और पत्नी की मृत्यु हो गई हो या स्थायी रुप से अशक्त हो जाए और ड.) जिनके माता-पिता में से माता प्रथम श्रेणी अधिकारी हो (सीधी भर्ती अथवा 40 वर्ष की उम्र से पहले पदोन्नत) और पिता द्वितीय श्रेणी का अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी रुप से अशक्त हो जाए। किंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा - उन माता-पिता के पुत्र व पुत्रियाँ - क) जिनके माता-पिता, दोनो द्वितीय श्रेणी अधिकारी हों और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी रुप से अशक्त हो जाए। ख) जिनके माता-पिता, दोनो द्वितीय श्रेणी अधिकारी हों और दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी रुप से अशक्त हो जाए किन्तु उनमें से कोई एक ऐसी मृत्यु या अशक्ता से पहले कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंर्तराष्ट्रीय संगठन में नियोजित रहे।
ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी	इस श्रेणी के उपर्युक्त 'क' और 'ख' में उल्लिखित मानदंड आवश्यक परिवर्तनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंको, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समतुल्य अथवा समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होंगे। इन संस्थानों में समतुल्य अथवा समकक्ष पदों का मूल्यांकन होने तक उक्त संस्थान के अधिकारियों पर नीचे उल्लिखित वर्ग में विनिर्दिष्ट मानदंड लागू होंगे।
III) अर्द्धसैनिक बलों सहित शस्त्र बल (इसमें सिविल पदधारी व्यक्ति शामिल नहीं है)	ऐसे माता पिता के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) जिनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल या उससे उच्च रैंक में हैं और नौसेना और वायु सेना और अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य पदों पर हैं, किन्तु : क) यदि किसी शस्त्र बल के अधिकारी की पत्नी सशस्त्र बल में कार्यरत है (अर्थात विचाराधीन वर्ग में) तो उसक पर अपवर्जन का नियम केवल तब लागू हो जब वह कर्नल रैंक में आएगा। ख) पति और पत्नी के सेवा रैंक यदि कर्नल से नीचे का हो तो उन्हें आपस में जोड़ा नहीं जाएगा। ग) यदि सशस्त्र बल में कार्यरत किसी अधिकारी का पत्नी सिविल सेवा में हो तो अपवर्जन का नियम लागू करने के लिए इसे तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक वह मद संख्या ।। में उल्लिखित सेवा वर्ग में नहीं आती है और इस स्थिति में उस पर स्वतंत्र रुप से उसमें उल्लिखित मानदंड और शर्तें लागू होंगी।
IV) व्यावसायिक श्रेणी व्यापार और उद्योग में कार्यरत व्यक्ति डाक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता वित्त या प्रबंध परामर्शदाता, दंत सर्जन, इंजीनियर, वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायों, लेखक, पटकथा लेखक,	श्रेणी - VI के सामने दर्शाया गया मानदंड लागू होगा। स्पष्टीकरण I) जहाँ पति किसी व्यवसाय में है और पत्नी श्रेणी-।। या निचले ग्रेड में नियोजित है तो आयकर पति की आय के आधार पर ही लगेगा। II) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में है और पति श्रेणी-।। या निचले ग्रेड में नियोजित है, तब आय/

खेलकूद से संबंधित व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी के रुप में कार्यरत व्यक्ति या इसी प्रकार की हैसियत के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति व्यापार, कारोबार और उद्योग में कार्यरत व्यक्ति	धन का मानदंड पत्नी के आय के आधार पर लागू होगी और पति की आय को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा।
सम्पति के स्वामी क) जोत क्षेत्र	निम्नलिखित का स्वामित्व रखने वाले परिवार (पिता, माता और अवयस्क बच्चे) से संबंधित व्यक्तियों के पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) : क) केवल सिंचित भूमि जो सांविधिक उच्चतम सीमा क्षेत्र के बराबर है या 85 प्रतिशत से अधिक है, या ख) सिंचित और गैर सिंचित दोनो प्रकार की भूमि, इस प्रकार है : 1. अपवर्जन का नियम वहाँ लागू होगा जहाँ पूर्व शर्त हो कि सिंचित क्षेत्र (डीनोमिनेटर) जो कि एक ही व्यक्ति के नाम में हो 40 प्रतिशत या सांविधिक उच्चतम सीमा से अधिक सिंचित क्षेत्र (गैर सिंचित हिस्से को हटाकर इसकी गणना की जाती है) हो यदि 40 प्रतिशत तक की पूर्व शर्त हो तब केवल गैर सिंचित क्षेत्र की गणना की जाएगी। ऐसा विद्यमान परिवर्तन फार्मूले के आधार पर गैर सिंचित भूमि को सिंचित प्रकार की भूमि में परिवर्तित करके किया जाएगा। गैर-सिंचित भूमि में इस प्रकार परिकलित सिंचित क्षेत्र, सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि बाद में इस प्रकार जोड़ देने पर सिंचित भूमि का कुल क्षेत्र 85 प्रतिशत है या सिंचित भूमि के लिए सांविधिक उच्चतम सीमा से अधिक है तब अपवर्जन नियम लागू होगा और अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। 2. अपवर्जन यदि परिवार का खेत पूर्णतया असिंचित है तो नियम लागू नहीं होगा।
ख) बागान 1) कॉफी, चाय, रबर आदि	नीचे श्रेणी - में दी गई आय/धन का मानदंड लागू नहीं हो।
2) आम, सिट्रस (नींबू आदि) सेब के बागान आदि	इन्हे जोत क्षेत्र माना जाता है इसलिए इस श्रेणी के अधीन उपर्युक्त 'क' में दिया मानदंड लागू होगा। नीचे श्रेणी-ख-1 में दिया मानदंड लागू होगा।
ग) नगर बस्तियों में खाली भूमि और / या भवन	स्पष्टीकरण - भवनों का आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन या इसी प्रकार के दो या अधिक ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।
IV) आय / धन	पुत्र, पुत्री (पुत्रियाँ) क) जिन व्यक्तियों की सकल वार्षिक आय 2 से 5 लाख रुपए है या इससे अधिक है या जिनके पास लगातार तीन वर्ष से धन कर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक धन है। ख) श्रेणी I, II, III और IV- क से संबंधित व्यक्ति जिन्हें आरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है परंतु जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत है जो उपर्युक्त उल्लिखित (क) में दिए गए आय के मानदंड में आएंगे।
	स्पष्टीकरण : 1. वेतन या कृषि योग्य भूमि से प्राप्त आय को मिलाया नहीं जाएगा। 2. रुपए के संबंध में आय का मानदंड प्रत्येक तीन वर्ष में इसके मूल्य में 6 परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आशोधित किया जाएगा। परंतु यदि स्थिति के अनुसार ऐसी मांग हो तो अंतराल को कम किया जा सकता है। **स्पष्टीकरण** इसमें जहां भी स्थायी अशक्त शब्द आया हैं वहाँ इसका अभिप्राय उस अशक्ता से है जिसके परिणामस्वरुप अधिकारी को सेवा से निकला जा सकता है।

यद्यपि काफी सतर्कता एवं सावधानी बरती गई है, तथापि किसी भी त्रुटि के लिए यह प्रकाशन जिम्मेदार नही है।

सम्यक समाज

(पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों का सामाजिक एवं वैचारिक मंच)

स्थापना : 23 अगस्त, 2009, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

पता : जानकी वाटिका, अकथा, पहड़िया, वाराणसी - फोन : 09415392194

सम्यक समाज की स्थापना दिनांक 23 अगस्त 2009 को वाराणसी में की गई। सम्यक समाज की स्थापना के मूल प्रणेता श्री अमृतांशु एवं डॉ. हेमन्त कुशवाहा हैं।

सम्यक समाज की स्थापना से जुड़ी तीन बैठके दिनांक 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त 2009 को आयोजित की गई। अंतिम निर्णायक बैठक दिनांक 23 अगस्त 2009 को "जानकी वाटिका" अकथा, पहड़िया, वाराणसी में आयोजित की गई, जहाँ प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी चिंतक श्री सूबेदार राम के संरक्षण में सम्यक समाज की स्थापना की गई। पूर्व कुलपति डा. एस. एस. कुशवाहा ने भी सम्यक समाज के संरक्षक हेतु अपनी सहमति दी हैं। बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी मनोनीत किए गए।

सम्यक समाज के नामित पदाधिकारियों की सूची

संरक्षक	डा. एस.एस. कुशवाहा	9415397466
	श्री सूबेदार राम	9450546970
संस्थापक अध्यक्ष	श्री अमृतांशु	9415392194
उपाध्यक्ष	डा. हेमन्त कुशवाहा	9453359701
	श्री वीरेन्द्र कुमार मौर्य	9415620781
	मो. जलालुद्दीन	9616620570
	श्री पंचम राम मौर्य	9450378209
महासचिव	श्री नंद किशोर	9450011454
सचिव	श्री विनय कुमार गुप्ता	9415624526
	श्री शिवराज राजभर	9918127162
	श्री शिवपूजन प्रसाद	9415449403
	श्री अशोक कुमार	9918301397
कोषाध्यक्ष	श्री राजनारायण प्रसाद	9452563777
सह कोषाध्यक्ष	श्री आर. डी. प्रसाद	9415449403
लेखा परीक्षक	श्री अनिल कुमार मोदी	9305011643
संगठन मंत्री	श्री कैलाश नाथ शर्मा	9936410226
	श्री प्यारे लाल मौर्य	9451576043
	श्री अनिल पटेल	9919715145
	श्री विजय कुमार कुशवाहा	9415985035
कार्यकारिणी परिषद सदस्य	श्री सुदामा यादव	9450816107
	श्री शिवशंकर यादव	9452569673
	श्री भोला राम	9305785088
	श्री रामाधार राव	9415388930
	श्री वी.एस. यादव	9936792734
	श्री अरुण कुमार	9839149335
	श्री संतोष कुमार यादव	9305130722

सम्यक समाज महाकोष निर्माण

सम्यक समाज ने अपने भावी योजनाओं में एक महती योजना "सम्यक समाज महाकोष निर्माण" के गठन की योजना बनाई है। संगठन का यह विश्वास है कि यह समाज अपने गठन के पाँच वर्षों में अर्थात 2014 तक 10 लाख रुपये संग्रहित कर लेगी। इस धन संग्रहण के लिए समाज के पदाधिकारियों ने एक सुदृढ़ योजना बनाई है।

प्रत्येक स्थाई सदस्य का मासिक अंशदान - 50.00

संगठन की स्थापना के समय कुल स्थाई सदस्य - 35

अर्थात मासिक अंशदान 35 X 50 = 1750.00

प्रत्येक स्थाई सदस्य - मासिक अंशदान - 50.00

आने वाले 1 माह में प्रत्येक स्थाई सदस्य 10 - 10 नये सम्यक साथी जोड़ेंगे जो न्यूनतम 50.00 रु0 प्रतिमाह अंश दान देने को इच्छुक होंगे।

इस प्रकार 35 X10 = 350 नये सम्यक साथी बनेंगे

इनका मासिक अंशदान 350 X 50.00 = 17500.00 रु

इसके बाद आने वाले दो माह में पुनः प्रत्येक स्थाई सदस्य मात्र 5-5 नए साथी बनायेंगे।

अर्थात 35 X 5 = 175

यानी 175 X 50 = 8750.00 रु.

इस प्रकार तीन महीने प्रयास के बाद

1750 + 17500 + 8750 = 28000 रु0 प्रतिमाह का सदस्यता शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

अर्थात वर्ष में 28000 X 12 = 3,36000 रु

अर्थात 5 वर्षों में 3,36,000 X 5 = 16,80,000 रु0

इस महाकोष का निर्माण की अवधारणा सम्यक समाज के व्यवस्थित प्रसार एवं इसके उद्देश्यों को आर्थिक सुदृढ़िकरण के साथ क्रियान्वयन करने पर आधारित है।

नोट : इस अनुमानित लेखा जोखा में मासिक अन्य खर्चों के साथ बैठकों, प्रकाशनों, संचार एवं प्रसाद आदि पर किए गए खर्च का ब्यौरा शामिल नहीं है। हालांकि इन खर्चों के बाद भी 10 लाख रुपये का लक्ष्य को पाया जा सकता है।

(सम्यक समाज के उद्देश्य कवर पृष्ठ 3 पर देखें)

यूनियन बैंक ओबीसी एसोसिएशन, चेन्नई द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज– 2008 में सफल ओबीसी एवं एससी/एसटी अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में (बाएं) संगठन के महामंत्री श्री जी. करूणानिधि का सम्मान करते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री डी0 नेपोलियन, मध्य में हैं पेरियार फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री वीरामणी एवं (दाएं) सफल IAS और IPS अभ्यर्थियों के साथ केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री डी0 नेपोलियन, करूणानिधि एवं वीरामणि, सबसे बाएं संगठन की महिला पदाधिकारी श्रीमती मलारकोडी।
करूणानिधि का सम्मान करते हुए श्री डी0 नेपोलियन ने उनके सामाजिक कार्यो का विस्तृत उल्लेख किया और कहा कि हमने करूणानिधि को वर्षों से देखा है। यह उनके अथक सामाजिक कार्यो का परिणाम है कि सामाजिक न्याय से जुड़े हर स्तर पर उन्हें सफलता हासिल हुई है। इन सफल IAS और IPS अभ्यर्थियों के लिए सम्मान आयोजित कर यूनियन बैंक ओबीसी एसोसिएशन ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

सम्यक समाज

(पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों का सामाजिक एवं वैचारिक मंच)

स्थापना : 23 अगस्त 2009, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

पता : जानकी वाटिका, अकथा, पहड़िया, वाराणसी, फोन – 09415392194, ई–मेल : samyaksamaj@gmail.com

संरक्षक : **डा. एस. एस. कुशवाहा** (भूतपूर्व कुलपति), **श्री सूबेदार राम** (से.नि. अपर आयकर आयुक्त)

संस्थापक अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
अमृतांशु	**नंदकिशोर**	**राजनारायण प्रसाद**

संस्थापक सदस्य : अमृतांशु, डा0 हेमन्त कुशवाहा, राज नारायण प्रसाद, पंचम राम मौर्य, विनय कुमार गुप्ता, शिवराज राजभर

सम्यक समाज एक गैर राजनीतिक मंच है, जिसे पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों का सामाजिक एवं वैचारिक मंच कहा गया है। सम्यक समाज के सभी पदाधिकारी अवैतनिक होंगे। सभी सदस्य एवं पदाधिकारी स्वेच्छापूर्वक सम्यक समाज के उद्देश्यों के परिचालन हेतु समर्पित होंगे।

स्थापना एवं उद्देश्य :

सम्यक समाज की स्थापना 23 अगस्त 2009 को की गई जिसके मुल उद्देश्य और अवधारणा इस प्रकार है –

• सामाजिक न्याय से जुड़े तथ्यों और जानकारियों के प्रति ज्ञान का विस्तार करना। • इन वर्गों को इनकी संवैधानिक स्थिति से अवगत कराना। • जनसंख्या के आधार पर इस बहुत बड़े सामाजिक वर्गों का सरकारी कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, न्यायालयों, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया और संसद में इनके प्रतिनिधित्व की स्थिति से इन्हें अवगत कराना। • पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों के इस विशाल समुदाय के आपसी एकता और सुदृढ़ता के लिए आपस की ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव के पुर्वग्रह को खत्म कर एक होने की दिशा में कार्य करना। • इन वर्गों को अपने महापुरूषों, सामाजिक क्रांतिकारियों जैसे भीमराव अम्बेडकर, पेरियार ई0वी0रामासामी, ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज और नारायण गुरू प्रमुख रहे हैं, इन सामाजिक विचारकों के वैचारिक योगदान को समाज के लोगों के बीच अधिक व्यवस्थित रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करना। • वर्ष में एक बार बृहदाकार कार्यक्रम करने के प्रयास करना जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त सामाजिक चिंतकों और वक्ताओं को बुलाना। ऐसे कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करना। • सामाज में व्याप्त रूढ़ियों, भ्रांतियों, आडम्बरों और कर्मकांडों का तर्कपूर्ण विवेचन करना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन सभी मिथकों को तोड़ने का प्रयास करना जिनसे मानसिक दासता मजबूत होती है। • समाज में व्याप्त भ्रांति एवं आधारहीन मान्यताओं, परम्पराओं जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, यात्रा पर न टोकना, संध्या समय सांप बिच्छुओं का नाम न लेना, डाईन, भूत प्रेत, तंत्र विद्या, भाग्य आदि को तर्कपूर्ण एवं बुद्धिमता से समझना एवं नकारने की बौद्धिक दृढ़ता पैदा करना। • महाकोष का निर्माण करना जिससे आर्थिक रूप में मजबूत होकर सम्यक समाज अधिक विस्तारित और व्यवस्थित स्तर पर सामाजिक न्याय के कार्य को मूर्त रूप दिया जा सके।

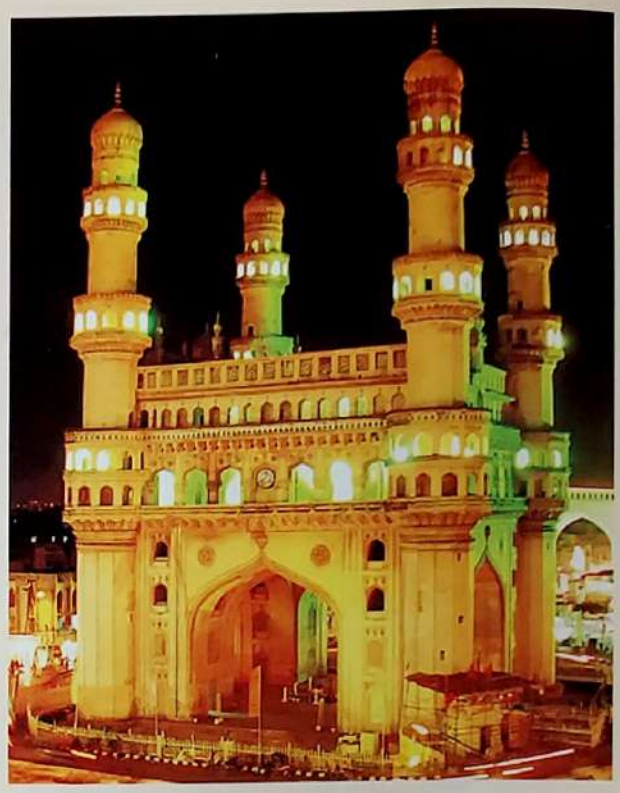

4th ALL INDIA CONFERENCE OF

All India Union Bank Backward Classes (OBC) Employees Welfare Association

Scheduled at Hyderabad

On

21 & 22 November 2009

All are cordially invited in the function

अध्यक्ष	महामंत्री	संगठन मंत्री	सचिव	सचिव
रवीन्द्र राम	जी. करुणानिधि	जे. अशोकन	वी. लक्ष्मी शेखर	अमृतांशु
9918301320	9381007998	9388830949	9866035557	9415392194